रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, धौलपुर.....थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. .....61/22..... दिनांक .....24/2/22.....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . धारायें.....7, 7 ए.....
   (ब) अधिनियम .....आई.पी.सी.....धारायें.....120 बी.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....520.....समय.....6:00 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–बुधवार / 23.02.2022 / 01.21 पी.एम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–10.02.2022 समय.–1.00 पी.एम. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– पुलिस चौकी के सामने ओंडेला रोड धौलपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –उत्तर , दूरी करीब 03 किमी.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री कल्यान सिंह**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री राजवीर सिंह जाति लोधा .....(स) जन्म तिथि / वर्ष 27 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ।
   (ल) पता....ग्राम –फूलपुरा तहसील व थाना सैंपऊ जिला धौलपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1–श्री विमल प्रताप सिंह पुत्र श्री गोपीचन्द जाति जाटव उम्र 32 साल निवासी सुन्दर कोलोनी पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल श्रम निरीक्षक श्रम विभाग धौलपुर।

2–श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजू जाति जाटव उम्र 27 साल निवासी दरियापुर पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर हाल संचालक विजय ई–मित्र धौलपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर। विषयः– रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम कल्यान सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह उम्र 27 वर्ष जाति लोधा पोस्ट तसीमो तहसील सैंपउ जिला धौलपुर (राज.) का मूल निवासी हूं। महोदय मेरे छोटे भाई बहिन सूरज तथा जयश्री ने श्रम विभाग कार्यालय धौलपुर के लिये छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया था जिसको श्रम विभाग कार्यालय में कार्यरत लेबर इंसपेक्टर विमल प्रताप द्वारा निरस्त कर दिया जब मैने उच्चाधिकारियें से बात कही तो उन्होने मेरे आवेदन को रिओपन कर दिया गया। अब मुझ प्रार्थी से आवेदनों को स्वीकार (पास) करने हेतु दलाल विजय द्वारा दो से तीन हजार रूपये की मांग की जा रही , मैं इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। विमल प्रताप लेबर इंस्पेक्टर तथा दलाल विजय को रंगे हाथा पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी या पुरानी रंजिश नहीं है। अतः आपसे निवेदन हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही करे। आपकी अति कृपा होगी। एस.डी. कल्यान सिंह, कल्यान सिंह पुत्र राजवीर सिंह जाति लोधा उम्र 27 वर्ष पोस्ट

तसीमो तहसील सैंपउ जिला धौलपुर राज.। मो.नं.–9636434092 एसडी दारासिंह दि. 23.02.22, एसडी दिनेश शर्मा दि. 23.02.22 एसडी सुमन म.कानि. कार्यवाहक मुख्य आरक्षक दि. 10.02.22, एस. डी. सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक दि. 10.02.2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 10.02.2022 को परिवादी श्री कल्यान सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह जाति लोधा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम फूलपुरा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर में उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति व अंपने चचेरे भाई बहिनों के छात्रवृति हेतु किये गये गये आवेदन से सम्बन्धित ऑनलाईन आवेदन फाईल नं. B11/2018/0005933 मय छात्रवृति आवेदक जयश्री व सूरज के पिता दिनेश सिंह द्वारा रिश्वत मांग की कार्यवाही हेतु परिवादी कल्यान सिंह को नियुक्त करने के प्रार्थना पत्र सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को पेश की है। चूँकि मन पुलिस उप अधीक्षक मुक.नं. 451/21 में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर से अभियोजन स्वीकृति हेतु विचार विमर्श करने भरतपुर होने के कारण श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक द्वारा उपरोक्त लिखित रिपोर्ट बाबत जरिये दूरभाष मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया तथा परिवादी से वार्ता कराई गई, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी के पास भेजकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को दिये। इस पर श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुंख्य आरक्षक परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी श्री कल्यान सिंह से पूछताछ की गई तो परिवादी कल्यान सिंह ने रिपोर्ट स्वयं के द्वारा लिखी हुई होना बताया व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते हुये मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे चचेरे भाई बहिन की मैने स्कोलरशिप हेतु ऑनलाईन आवेदन करवाया था। मेरे चाचा इतने पढे लिखे नहीं हैं तो ऐसे कामों को परिवार में मैं ही करता हूं। स्कोलरशिप के आवेदन को श्रम विभाग के अधिकारी बार–बार रिजेक्ट कर देते हैं। मैने उनसे मिलकर मेरे चचेरे भाई सूरज तथा चचेरी बहिन जयश्री के आवेदन को रिओपन करवाया है व मैं श्रम निरीक्षक श्री विमल प्रताप जी से मिला तो उन्होने बिना कुछ बोले पर्ची पर लिखकर मुझसे कहा कि विजय ई–मित्र वाले से मिल लेना तेरा काम हो जायेगा। विमल प्रताप अभी मेरे से बातचीत नहीं करेगा, वह विजय ई–मित्र वाले के मार्फत ही मुझसे पैसे लेगा। मै उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश व रूपये पैसे का कोई लेन–देन नहीं है। इस पर समय 01.30 पी.एम. पर कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर निकालकर श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. नं. 449 को चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर गवाह मनोज कानि. व श्री योगेश कानि. के सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर हिदायत की गई कि गांव दरियापुर के पास एन.एच. 3 पर स्थित आरोपी (दलाल) की दुकान के पास पहुंचकर परिवादी श्री कल्यान सिंह को चालू कर अपना परिचय बोलकर सुपुर्द करे एवं बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर परिवादी श्री कल्यान सिंह को श्री ब्रह्मसिंह कानि. के हमराह परिवादी की मोटरसाईकिल से गांव दरियापुर के पास एन.एच. 3 पर स्थित आरोपी विजय ई–मित्र संचालक की दुकान के लिए रवाना किया गया। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात समय 03.20 पी.एम. पर श्री ब्रह्मदेव सिंह कानि. व परिवादी श्री कल्यान सिंह जरिये मोटरसाईकिल एसीबी कार्यालय धौलपुर में उपस्थित आये तथा परिवादी कल्यान सिंह ने श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक को बताया कि मैं व ब्रह्मदेव जी यहां से रवाना होकर गांव दरियापुर के पास एन.एच. 3 पर आरोपी ई–मित्र संचालक की दुकान के पास पहुंचे जहां पर मैने दलाल विजय से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो उसने मुझे दुकान के पास रोड पर ही मिलने की कहा। इस पर मैने ब्रह्मदेव जी को यह बात बताई तो ब्रह्मदेव जी ने वाईस रिकॉर्डर को चालू कर अपना परिचय बोलकर मुझे सम्भला दिया जिसे मैने अपने पास रखकर मोटरसाईकिल से दलाल के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचा तो वह विजय ई–मित्र संचालक मुझे वहीं पर रोड पर मिल गया जिसने मेरे दोनो आवेदनों की स्कोलरशिप को विमल प्रताप श्रम निरीक्षक से पास करवाने के लिए प्रत्येक आवेदन के 1,500/–रूपये के हिसाब से 3,000/–रूपये मांगे व रिश्वत सम्बन्धी अन्य बातचीत भी हुई। बातचीत करने के बाद मैं वहां से रवाना हो पास में ही खडे श्री ब्रह्मदेव कानि. के पास पहुंचा जिन्होने मुझसे वाईस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। उसके बाद मैने इनको सारी बातें बता दी। फिर हम दोनो मेरी मोटरसाईकिल से रवाना होकर यहां वापस आ गये। परिवादी के कथनों की कानि0 ब्रह्मदेव सिंह ने ताईद की। इसके बाद परिवादी द्वारा बताई गई